



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पंथ, गाजियाबाद।

शमन/स्वीकृत पत्र

पत्रांक 631/प्रवर्तन जोन-1/2017-18

दिनांक 22.02.18

सेवा में,

1. मै0 विमोर वैभव इन्फ्राहोम प्रा0लि0,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री किशोर लाल,
पता:एस-551,स्कूल ब्लॉक श्रृवकपुर,
दिल्ली-110092
2. मै0 मिलन इन्फ्रा0 एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0
कॉमशिलय प्लॉट संख्या-20, सैक्टर-14,
कौशम्बी, गाजियाबाद।

विषय:- खसरा संख्या-1119 व 1125, ग्राम-नूरनगर, गाजियाबाद पर निर्मित/निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग भवन के टॉवर-एस, टी, यू, वी एवं ए में स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया खसरा संख्या-1119 व 1125, ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर निर्मित/निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग भवन के टॉवर-एस, टी, यू, वी एवं ए के स्वीकृत मानचित्र संख्या-37/जोन-1/12-13 दिनांक 03.10.2013 से अधिक किये गये निर्माण को शमन कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.06.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 16.08.2017 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार आपके द्वारा शमन धनराशि रु0 49,12,836.00 (रुपये उनचास लाख बारह हजार आठ सौ छत्तीस मात्र), मेट्रो सेस के मद में रु0 49,21,711.00 (रुपये उनचास लाख इक्कीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रु0 98,34,547.00 (रुपये अठानवें लाख चौतीस हजार पोंच सौ सैतालीस मात्र) दिनांक 21.11.2017 से 16.01.2018 तक प्राधिकरण कोष में जमा किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है:-

1. भवन के अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग को कियाशील करना होगा।
2. विकासकर्ता द्वारा अन्तिम शमन/सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने से पूर्व शमनित निर्माण की अग्नि से सुरक्षा के संदर्भ में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु यदि अग्निशमन विभाग के निर्देश पर भवन का परिवर्तन करना अपरिहार्य हो तो उसका दायित्व विकासकर्ता का होगा। अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
3. विकासकर्ता द्वारा अन्तिम शमन/सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने से पूर्व शमनित निर्माण की अधिकतम ऊँचाई 49.45 मी0 हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से सन्दर्भित ऊँचाई 49.45 मी0 हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
4. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जल सामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखनी होगी। सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर व सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
5. स्वीकृत मानचित्र संख्या-37/जोन-1/12-13 दिनांक 03.10.2013 के अनुसार सड़क विस्तार हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल को छोड़ते हुए बाउन्ड्रीवाल का निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा।
6. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

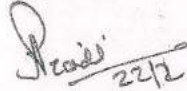
87

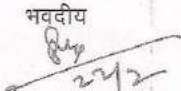
7. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-1789/जी0एम0पी0/जी0एच0/10-11 दिनांक 17.08.2011 संशोधित स्वीकृत मानचित्र संख्या-37/जोन-1/12-13 दिनांक 03.10.2013, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के समय एवं शमन स्वीकृति के समय प्रस्तुत समस्त शपथ पत्र/वचन बढ़ता तथा समस्त शासकीय विभागों से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा की दशा में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।
8. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा अन्य कोई उपयोग अनुमन्य नहीं होगा। विपरीत दशा में प्रदत्त शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
9. वर्तमान में प्रस्तुत शमन मानचित्र के अनुरूप उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 के प्राविधान के अनुसार संशोधित डीड ऑफ डिक्लरेशन प्रस्तुत करना होगा।
10. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी/निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र दिनांक 30.07.2015 एवं स्टेट लेवल इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अधोरिटी उ0प्र0 द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 16.05.2011 में समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
12. सम्पूति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व मै0 मिलन इन्फा0 एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक: शमन मानचित्रों की प्रतियाँ।

उपरोक्तानुसार


(ए0आर0 जैदी)
अवर अभियन्ता

भवदीय

(आर0पी0 सिंह)
प्रभारी, प्रवर्तन जोन-1



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 126 / प्रवर्तन जोन-1 / 2015

दिनांक 20.3.15

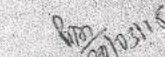
आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

मैसर्स मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० एवं मै० विभोर चैभव इन्फ्रा होम प्रा० लि० द्वारा खसरा सं०-1119 व 1125, ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के टावर-सी (आंशिक) तथा टावर-डी के सम्बन्ध में आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण श्री पी०वी० यादव, अवर अभियन्ता एवं श्री पी०के० शर्मा, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.03.2015 को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.03.2015 को प्रदान की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के (2) के अन्तर्गत टावर-सी (आंशिक) तथा टावर-डी का आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

शर्तें:-

1. पक्ष को पूर्व स्वीकृत मानचित्र व सशोधित स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. अग्निशमन उपकरणों को सदैव कियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का उत्तर दायित्व स्वयं निर्माणकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5. आवेदक/निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन से करना होगा किसी भी शपथ पत्र/वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत आंशिक सम्पुर्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत Declaration का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बड़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. वाहय विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
9. नियमानुसार आर०डब्ल्यू०ए० के गटन एवं आर०डब्ल्यू०ए० को सभी सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण डेवलपर द्वारा ही कराया जायेगा।
10. रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सदैव कियाशील रखना होगा।
11. वाहय विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता/एजेन्सी का होगा।


20.3.15
(पी०वी० यादव)
अवर अभियन्ता


20.3.15
(पी०के० शर्मा)
सहायक अभियन्ता